

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 82

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	4668.95	49.94	4718.89	6004.76	57.82	6062.58	5649.76	57.67	5707.43	6161.00	65.95	6226.95
पूँजी	662.00	...	662.00	462.24	...	462.24	262.02	...	262.02	339.00	...	339.00
जोड़	5330.95	49.94	5380.89	6467.00	57.82	6524.82	5911.78	57.67	5969.45	6500.00	65.95	6565.95
(करोड़ रुपए)												
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2013	0.04	0.04
	2251	35.75	35.75
	जोड़	35.79	35.79
2. अनुसूचित जातियों के विकास हेतु एक व्यापक स्कीम												
2.01 बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन	2225	1.00	...	1.00
2.02 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	2225	100.00	...	100.00
2.03 डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	2225	16.99	...	16.99
2.04 अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	196.00	...	196.00
2.05 सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार स्कीम	2225	9.00	...	9.00
2.06 अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना	2225	14.70	...	14.70
2.07 अनुसूचित जातियों के लिए उच्च प्रकार की शिक्षा	2225	20.58	...	20.58
2.08 अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	49.00	...	49.00
2.09 अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान	2225	24.50	...	24.50
2.10 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2225	3.00	...	3.00
	2552	60.00	...	60.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	3601	2721.00	...	2721.00
	3602	7.00	...	7.00
	जोड़	2791.00	...	2791.00
2.11 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2552	2.00	...	2.00
	3601	88.00	...	88.00
	जोड़	90.00	...	90.00
2.12 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रवर्तन से संबंधित तंत्र का सुदृढीकरण	2225	1.00	...	1.00
	2552	3.00	...	3.00
	3601	144.00	...	144.00
	3602	2.00	...	2.00
	जोड़	150.00	...	150.00
2.13 बालिका छात्रावास	2225	10.00	...	10.00
	2552	1.00	...	1.00
	3601	28.00	...	28.00
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	40.00	...	40.00
2.14 बालक छात्रावास	2225	2.50	...	2.50
	2552	0.10	...	0.10
	3601	1.90	...	1.90
	3602	0.50	...	0.50
	जोड़	5.00	...	5.00
2.15 अस्वच्छ व्यवसायों जिनमें सफाई कर्म तथा स्वास्थ्य हेतु जोखिम की संभावना वाले व्यवसाय शामिल हैं, से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2552	0.20	...	0.20
	3601	1.80	...	1.80
	जोड़	2.00	...	2.00
2.16 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	2552	0.40	...	0.40
	3601	19.60	...	19.60
	जोड़	20.00	...	20.00
2.17 अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रतिभा उन्नयन	2225	0.90	...	0.90

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
2552	0.10	...	0.10
3601	2.00	...	2.00
जोड़	3.00	...	3.00
2.18 अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	72.00	...	72.00
2552	11.00	...	11.00
3601	467.00	...	467.00
जोड़	550.00	...	550.00
2.19 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	4225	136.22	...	136.22
2.20 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	4225	50.00	...	50.00
2.21 अनुसूचित जातियों हेतु उद्यम पूंजी एवं ऋण गारंटी निधि	4225	49.00	...	49.00
2.22 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	2225	16.58	16.58
2.23 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	2225	4.09	4.09
2.24 पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	7.22	...	7.22
4552	3.78	...	3.78
जोड़	11.00	...	11.00
जोड़- अनुसूचित जातियों के विकास हेतु एक व्यापक स्कीम	4328.99	20.67	4349.66
3. अनुसूचित जाति उप-योजना												
3.01 अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता	2225	2.00	...	2.00
3601	780.00	...	780.00
3602	2.00	...	2.00
जोड़	784.00	...	784.00
3.02 पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	16.00	...	16.00
जोड़- अनुसूचित जाति उप-योजना	800.00	...	800.00
4. पिछड़ी जातियों के विकास हेतु व्यापक स्कीम												
4.01 अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	24.00	...	24.00
4.02 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना	2225	1.80	...	1.80
4.03 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	3.60	...	3.60
4.04 मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	1.00	...	1.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
2552	15.00	...	15.00
3601	125.00	...	125.00
3602	1.00	...	1.00
जोड़	142.00	...	142.00
4.05 मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	2225	1.00	...	1.00
2552	88.60	...	88.60
3601	793.40	...	793.40
3602	2.00	...	2.00
जोड़	885.00	...	885.00
4.06 बालक एवं बालिका छात्रावास	2225	10.00	...	10.00
2552	4.00	...	4.00
3601	25.00	...	25.00
3602	1.00	...	1.00
जोड़	40.00	...	40.00
4.07 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीमें	2552	1.00	...	1.00
3601	9.00	...	9.00
जोड़	10.00	...	10.00
4.08 विमुक्त घुमकड़ जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास से संबंधित स्कीमें	2552	0.50	...	0.50
3601	4.50	...	4.50
जोड़	5.00	...	5.00
4.09 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	4225	90.00	...	90.00
4.10 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	2225	4.80	4.80
4.11 राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग	2225	1.76	1.76
4.12 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	3.60	...	3.60
4552	10.00	...	10.00
जोड़	13.60	...	13.60
जोड़- पिछड़ी जातियों के विकास हेतु व्यापक स्कीम	1215.00	6.56	1221.56
5. जोखिम की संभावना वाले अन्य समूहों के कल्याण हेतु व्यापक स्कीम
5.01 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन	2235	19.80	2.93	22.73
5.02 सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठनों को	2235	3.00	...	3.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
सहायता													
5.03 मादक द्रव्य के दुरुपयोग तथा अन्य पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में मात्रा, पैटर्न और रूझान का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	2235	2.70	...	2.70
5.04 मद्यपान तथा पदार्थ (मादक) के दुरुपयोग की रोकथाम	2235	31.01	...	31.01
5.05 अनुसंधान अध्ययन तथा प्रकाशन	2235	1.00	...	1.00
5.06 सूचना एवं व्यापक प्रकोष्ठ	2235	25.00	...	25.00
5.07 वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों को चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	33.30	...	33.30
5.08 ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों के लिए स्कीम	2235	13.50	...	13.50
5.09 भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु समेकित कार्यक्रम	2235	9.00	...	9.00
5.10 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	17.70	...	17.70
जोड़- जोखिम की संभावना वाले अन्य समूहों के कल्याण हेतु व्यापक स्कीम		156.01	2.93	158.94
सं.अ. 2015-2016													
6. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	2.81	27.00	29.81	4.00	28.71	32.71	4.00	30.53	34.53
7. विवेकाधीन अनुदान	2013	0.04	0.04	...	0.04	0.04
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
8. अनुसूचित जातियों के उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2225	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	3601	700.00	...	700.00	1086.74	...	1086.74	779.30	...	779.30
	3602	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	700.00	...	700.00	1090.74	...	1090.74	783.30	...	783.30
9. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2225	2.75	...	2.75
	3601
	3602
	जोड़	2.75	...	2.75
10. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र	2225	0.29	...	0.29	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3601
3602
जोड़	0.29	...	0.29	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
11. बालिका छात्रावास	2225	10.44	...	10.44	6.00	...	6.00	10.69	...	10.69
3601
3602
जोड़	10.44	...	10.44	6.00	...	6.00	10.69	...	10.69
12. लड़कों के लिए छात्रावास	2225	3.51	...	3.51	5.00	...	5.00	2.60	...	2.60
3601
3602
जोड़	3.51	...	3.51	5.00	...	5.00	2.60	...	2.60
13. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	2225
3601
3602
जोड़
14. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	15.08	...	15.08	179.55	...	179.55	179.55	...	179.55
3601
जोड़	15.08	...	15.08	179.55	...	179.55	179.55	...	179.55
15. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	19.02	...	19.02	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	148.85	...	148.85	200.55	...	200.55	200.55	...	200.55
17. उच्च स्तरीय शिक्षा	2225	19.37	...	19.37	21.00	...	21.00	31.00	...	31.00
18. सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास की स्वरोजगार योजना	2225	460.99	...	460.99	5.01	...	5.01
19. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	3601
20. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2225	57.47	17.78	75.25	66.00	19.77	85.77	152.56	18.87	171.43
3601
जोड़	57.47	17.78	75.25	66.00	19.77	85.77	152.56	18.87	171.43
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण	976.78	17.78	994.56	2080.83	19.77	2100.60	1416.26	18.87	1435.13
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण												
21. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	0.06	...	0.06	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3601
3602

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	जोड़	0.06	...	0.06	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	2225	0.18	...	0.18
	3601
	3602
23. छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास	जोड़	0.18	...	0.18
	2225	21.88	...	21.88	10.00	...	10.00	12.39	...	12.39
	3601
	3602
24. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	जोड़	21.88	...	21.88	10.00	...	10.00	12.39	...	12.39
	2225	9.43	...	9.43	6.00	...	6.00	18.10	...	18.10
25. अन्य कार्यक्रम	2225	5.38	3.81	9.19	12.00	7.00	19.00	6.00	5.93	11.93
	3601
	जोड़	5.38	3.81	9.19	12.00	7.00	19.00	6.00	5.93	11.93
जोड़-अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		36.93	3.81	40.74	29.00	7.00	36.00	37.49	5.93	43.42
26. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम	2225	8.14	...	8.14	10.98	...	10.98	10.98	...	10.98
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	जोड़	8.14	...	8.14	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		1021.85	21.59	1043.44	2121.83	26.77	2148.60	1465.75	24.80	1490.55
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण												
सामाजिक कल्याण												
27. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक हेतु सहायता	2235	30.74	...	30.74	15.15	...	15.15	31.15	...	31.15
28. वृद्धाश्रमों आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	14.99	...	14.99	50.00	...	50.00	22.97	...	22.97
29. अन्य कार्यक्रम	2235	45.24	1.67	46.91	27.77	2.30	30.07	45.22	2.30	47.52
जोड़-सामाजिक कल्याण		90.97	1.67	92.64	92.92	2.30	95.22	99.34	2.30	101.64
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		90.97	1.67	92.64	92.92	2.30	95.22	99.34	2.30	101.64
30. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	662.00	...	662.00	444.00	...	444.00	247.78	...	247.78
	4235
	जोड़	662.00	...	662.00	444.00	...	444.00	247.78	...	247.78
31. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	53.76	...	53.76	48.90	...	48.90
	4552	18.24	...	18.24	14.24	...	14.24

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना												
32. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम	2552	32.20	...	32.20	32.20	...	32.20
	3601	1943.42	1943.42	1564.80	...	1564.80	2181.85	...	2181.85
	3602	17.00	17.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	1960.42	1960.42	1599.00	...	1599.00	2216.05	...	2216.05
33. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र	2552	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
	3601	145.30	145.30	85.95	...	85.95	115.95	...	115.95
	3602	1.80	1.80	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	147.10	147.10	89.75	...	89.75	119.75	...	119.75
34. बालिका छात्रावास	2552	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
	3601	8.28	8.28	42.90	...	42.90	33.31	...	33.31
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	8.28	8.28	44.00	...	44.00	34.31	...	34.31
35. लड़कों के लिए छात्रावास	2552	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
	3601	0.90	0.90	18.60	...	18.60	1.00	...	1.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	0.90	0.90	20.00	...	20.00	2.40	...	2.40
36. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2552	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	3601	0.90	0.90	9.80	...	9.80	2.30	...	2.30
	3602
	जोड़	0.90	0.90	10.00	...	10.00	2.50	...	2.50
37. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2552	16.68	...	16.68	16.68	...	16.68
	3601	499.00	499.00	646.32	...	646.32	353.77	...	353.77
	3602
	जोड़	499.00	499.00	663.00	...	663.00	370.45	...	370.45
38. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	2552	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
	3601	30.00	30.00	196.00	...	196.00	196.00	...	196.00
	3602
	जोड़	30.00	30.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
39. अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम	2552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3601	22.78	...	22.78	22.50	...	22.50	22.50	...	22.50
3602
जोड़	22.78	...	22.78	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00
40. अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2552	15.00	...	15.00	15.66	...	15.66
3601	108.95	...	108.95	133.00	...	133.00	118.24	...	118.24
3602	0.55	...	0.55	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़	109.50	...	109.50	149.00	...	149.00	134.90	...	134.90
41. अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2552	88.60	...	88.60	88.60	...	88.60
3601	779.35	...	779.35	794.40	...	794.40	794.40	...	794.40
3602	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़	780.35	...	780.35	885.00	...	885.00	885.00	...	885.00
42. अन्य पिछड़ी जाति के लिए बालक-बालिका छात्रावास	2552	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
3601	8.34	...	8.34	30.50	...	30.50	24.41	...	24.41
3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़	8.34	...	8.34	35.00	...	35.00	28.91	...	28.91
43. अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अन्य कार्यक्रम	2552	1.45	...	1.45	1.45	...	1.45
3601	4.00	...	4.00	13.05	...	13.05	13.05	...	13.05
3602
जोड़	4.00	...	4.00	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50
जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना	3571.57	...	3571.57	3732.25	...	3732.25	4031.77	...	4031.77
44. वास्तविक वसूलियां	2225	-18.25	...	-18.25
2235
2251	...	-0.32	-0.32
3601
जोड़	-18.25	-0.32	-18.57
कुल जोड़	5330.95	49.94	5380.89	6467.00	57.82	6524.82	5911.78	57.67	5969.45	6500.00	65.95	6565.95
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी	22225

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
2.	राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त एवं विकास निगम	22235
3.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त और विकास निगम	22225	247.76	...	247.76	247.76	...	247.76	276.22	...	276.22
4.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.	22225	196.24	...	196.24	0.02	...	0.02	49.00	...	49.00
जोड़			444.00	...	444.00	247.78	...	247.78	325.22	...	325.22
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	2.81	...	2.81	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
2.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	22225	1665.60	...	1665.60	2565.83	...	2565.83	1713.53	...	1713.53	1671.79	1671.79
3.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	90.97	...	90.97	92.92	...	92.92	99.34	...	99.34	138.31	138.31
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	72.00	...	72.00	63.14	...	63.14	58.30	58.30
जोड़ - केन्द्रीय योजना			1759.38	...	1759.38	2734.75	...	2734.75	1880.01	...	1880.01	1868.40	1868.40
राज्य योजना:													
1.	अनुसूचित जाति कल्याण	43601	2650.58	...	2650.58	2642.75	...	2642.75	2963.46	...	2963.46	3551.10	3551.10
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	43601	900.64	...	900.64	1079.50	...	1079.50	1059.31	...	1059.31	1066.00	1066.00
जोड़ - राज्य योजना			3551.22	...	3551.22	3722.25	...	3722.25	4022.77	...	4022.77	4617.10	4617.10
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1.	अनुसूचित जाति कल्याण	43602	18.80	...	18.80	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	10.50	10.50
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	43602	1.55	...	1.55	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	4.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना			20.35	...	20.35	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	14.50	14.50
जोड़			5330.95	...	5330.95	6467.00	...	6467.00	5911.78	...	5911.78	6500.00	6500.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय तथा स्व-विवेकाधीन अनुदानों पर व्यय के लिए है।

2.01. **बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान:** इस प्रावधान में बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को कवर किया गया है।

2.02. **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र:** इस प्रावधान में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को कवर किया गया है।

2.03. **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक:** इस प्रावधान में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक को कवर किया गया है।

2.04. **राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

2.05. **सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य शेष स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों का एक समयबद्ध रीति से पुनर्वास करना है। स्कीम के तहत, लाभार्थियों को लाभदायक स्व या मजदूरी रोजगार के लिए ऋण, सविस्डी और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम में नवम्बर, 2013 से संशोधन किया गया है।

2.06. **अ.जा. के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** इस प्रावधान में अ.जा. के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति को कवर किया गया है।

2.07. **मेधावी छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा:** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों की एक लघु सूची अधिसूचित की गई और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरूरतें पूरी होंगी।

2.08. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयत्नों में लगे सधम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं के संचालन, सेवा कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियों और आय सृजक कार्यक्रमों जैसा कि विभिन्न वाणिज्यिक कार्यों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक, सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

2.09. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम:** इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना नौकरी तलाश करने वाले संभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को परीक्षा से पूर्व विशेष कोचिंग दिलाकर, पूरा करने के लिए बनाई गई है जिससे कि इन श्रेणियों के विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह योजना प्रतिष्ठित संस्थानों/केन्द्रों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्यक्रम के संचालन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित केवल वही विद्यार्थी पात्र हैं जिनकी कुल आय 3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है।

2.10. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

2.11. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** इस प्रावधान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को कवर किया गया है।

2.12. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र:** यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ करने, अनन्य विशेष अदालतों के गठन और कार्यकरण, अंतर-जातीय विवाहों के लिए पुरस्कारों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, जागरूकता सृजन के लिए प्रदान की जाती है।

2.13. **बालिका छात्रावास:** संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और केन्द्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में मानद विश्वविद्यालयों को उनके विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

2.14. **बालकों के लिए छात्रावास:** अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए, जो मिडिल तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत प्रदान की जाती है।

2.15. **सफाई और स्वा-स्वयं के लिए जोखिमपूर्ण व्य वसायों जैसे अस्वच्छ व्य वसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य लक्षित समूहों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें (i) स्केवेंजर, (ii) स्वीपर, (iii) टेनर्स, (iv) फ्लेयर्स, (v) मेनहोल तथा खुली नालियां साफ करने वाले, तथा (vi) कूड़ा बीनने वाले शामिल हैं।

2.16. **राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम:** इस प्रावधान में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को कवर किया गया है।

2.17. **अ.जा. छात्रों की योग्यता का उन्नयन:** इस प्रावधान में अ.जा. छात्रों की योग्यता का उन्नयन कवर किया गया है।

2.18. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि प्रारम्भिक से माध्यमिक स्तर में शिक्षा छोड़ने की घटनाओं को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु छात्र को अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.19. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

2.20. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

2.21. **अनुसूचित जातियों के लिए आईएफसीआई के जरिए उद्यम पूंजी तथा ऋण गारण्टी निधि:** इस प्रावधान में आईएफसीआई के जरिए अनुसूचित जातियों हेतु उद्यम पूंजी तथा ऋण गारण्टी शामिल है।

2.22. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कवर किया गया है।

2.23. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को कवर किया गया है।

2.24. **पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

3.01. **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता:** इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए संगत विकास कार्यक्रमों पर बल देना है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जो अनुसूचित जाति घटक योजना तैयार कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को ऊंची आय वाले सृजनकारी कार्य कलाओं में अपनी क्षमता और उत्कृष्टता सिद्ध करने के अधिक क्षेत्र खोलने, नए उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम के विद्यमान प्रारूप में बल देना रहा है।

3.02. **पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

4.01. **अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उपयुक्त रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु है।

4.02. **अ.पि.व. के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** इस प्रावधान में अ.पि.व. के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति को कवर किया गया है।

4.03. **अ.पि.व. के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता:** इस प्रावधान में अ.पि.व की शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है।

4.04. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है।

4.05. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

4.06. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण:** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है।

4.07. **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास की योजना:** इस प्रावधान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास को कवर किया गया है।

4.08. **विमुक्त घुमन्तू जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास की योजना:** इस प्रावधान में विमुक्त घुमन्तू जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास की योजना को कवर किया गया है।

4.09. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

4.10. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कवर किया गया है।

4.11. **राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग को कवर किया गया है।

4.12. **पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

5.01. **राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान से संबंधित व्यय के लिए है।

5.02. **समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता:** यह प्रावधान समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता से संबंधित व्यय के लिए है।

5.03. **नशीली दवा दुरुपयोग तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग की सीमा, पैटर्न और प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण:** यह प्रावधान नशीली दवा दुरुपयोग तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग की सीमा, पैटर्न और प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संबंधित व्यय के लिए है।

5.04. **मद्यपान और नशीले पदार्थ (औषधि) दुरुपयोग निवारण:** यह प्रावधान मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग की रोकथाम हेतु योजना तथा मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की रोकथाम पर राष्ट्रीय नीति से संबंधित व्यय के लिए है।

5.05. **अनुसंधान अध्ययन तथा अनुसंधान प्रकाशन:** यह प्रावधान अनुसंधान अध्ययन तथा अनुसंधान प्रकाशन से संबंधित व्यय के लिए है।

5.06. **सूचना एवं जन-शिक्षा प्रकोष्ठ:** यह प्रावधान सूचना एवं जन-शिक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित व्यय के लिए है।

5.07. **वृद्धाश्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता:** इस योजना में दिवा परिचर्या केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटों की स्थापना आदि के संचालन और रखरखाव के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित की गई है। वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने के अलावा, इस योजना में अनेक नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे विश्राम गृह और सतत देख-रेख आवास, वृद्धों के लिए बहु-सेवा केन्द्र चलाना, अल्जाइमर/मनोभ्रंश रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र चलाना, वृद्धों के लिए – फिजियोथेरेपी क्लिनिक और वृद्ध लोगों को विकलांगता संबंधी और श्रवण यंत्र देना, उनके लिए हेल्प-लाइन और परामर्शी केन्द्र इत्यादि।

5.08. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिय योजना:** यह प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिय योजना से संबंधित व्यय के लिए है।

5.09. **भिखारियों के पुनर्वास के लिए समेकित कार्यक्रम:** यह प्रावधान भिखारियों के पुनर्वास के लिए समेकित कार्यक्रम से संबंधित व्यय के लिए है।

5.10. पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए प्रावधान: यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।